2024/496

हल्का बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 751 में आराजी नंबर 1262 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1263 रकबा 1.0900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1264 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1269 रकबा 0.5700 आराजी नंबर 1270 रकबा 0. 2500 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.5000 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि की मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। विपक्षी नं 1 व 4 प्रार्थीगण के हक हिस्से की आराजियात को रहन, बय हस्तान्तरण, वसीयत इत्यादि के माध्यम से खुर्द बुर्द नहीं करें न करावें, राजस्व रेकॉर्ड में कोई परिवर्तन नहीं स्वयं करें न अन्य किसी से करावें। विपक्षीगणों को हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा जारी हो जिसकी प्रति विपक्षी को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी जावे। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामिल पेश नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 14.08.2024 को पेश हो।

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित विपक्षी संख्या 1,2,3 की ओर से हुक्म वाद श्री अधिवक्ता श्री सुधीर कुमावत ने वकालतनामा पेश किया जो प्रार्थना पत्र पर जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 14/10/24 को पेश हो।

14/10/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुप[illegible] एस.डी.ओ.सा. दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म साविका दिनांक 23/12/24 को पेश है

आज्ञा से

23/12/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अनुपस्थित वकील प्रार्थी व प्रार्थी अनु० तीन बार आवाज लगायी गयी कोई हाजिर नहीं अंतिम आवाज 5:00 PM पर लगायी [illegible] हाजिर नहीं अतः प्रार्थी को [illegible] अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:24:46 IST
Reason: SelfAttested